

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,

नगर पंचायत,

फरीदनगर, जनपद-गाजियाबाद/तिर्वागंज, जनपद-कन्नौज/गरौठा, जनपद-झाँसी/
गैसडी, जनपद-बलरामपुर/अमीनगर सराय, जनपद-बागपत/मुरसान, जनपद-
हाथरस।

नगर विकास अनुभाग- 9

लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या-83 से ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पंचायतों के कार्यों/परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-358/न0पं0फ0/2024-25, दिनांक-23.11.2024, पत्रांक-727/न0पं0 ति0/प्रस्ताव/का0यो0(2024-2025, दिनांक-07.02.2025, पत्रांक-90/न0पं0गरौठा(2024-25), दिनांक-20.12.2024, पत्रांक-144/BJP/BLP/2024, दिनांक-08.10.2024, पत्रांक-1031/न0पं0अ0/2024-25, दिनांक-27.12.2024, पत्रांक-450/न0पं0मु0/2024-25, दिनांक-25.02.2025 एवं पत्रांक-449/न0पं0मु0/ 2024-25, दिनांक-25.02.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। उपर्युक्त निकायों द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव, कुल लागत धनराशि ₹0 664.25 लाख (रूपये छः करोड़ चौंसठ लाख पच्चीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त की धनराशि ₹0 323.89 लाख (रूपये तीन करोड़ तेईस लाख नवासी हजार मात्र) अनुदान संख्या-83, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

१-
नगर पंचायत

अनुदान संख्या-83

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	निकाय/जनपद का नाम	मद/कार्य	प्राक्कलित धनराशि/प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	आवंटित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जा रही धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत फरीदनगर जनपद गजियाबाद	1. नगर पंचायत फरीदनगर के वार्ड 02 में राजू सैनी के रोड से दलसिंह के मकान तक नाली व सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य। 2. नगर पंचायत फरीदनगर के वार्ड 07 व 10 में मा० साजन टेलर्स की दुकान से इकराम की टयुवेल तक नाली व सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य। 3. नगर पंचायत फरीदनगर के वार्ड 08 में सुन्दर के प्लाट से रोहन पातीवाल के मकान तक नाली व सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	6.21 39.94 4.24		
		योग	50.39	50.00	25.00
2	नगर पंचायत तिवर्गंज जनपद कन्नौज	1. मो० शास्त्री नगर में बबलू (मिथलेश बाथम के पास की पुलिया) के मकान से गुर्ज तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य। 2. मो० गौधी नगर में मेन रोड भारत टेन्ट हाउस से अनिल गौतम के मकान तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य। 3. सैयद बाबा मजार के पास की गली से बम्बा तक Electric poll G.I. single bracket 80 watt LED light fitting का कार्य। 4. इन्द्रा देवी स्कूल से बौरापुर रोड तक, Electric poll G.I. single bracket 80 watt LED light fitting का कार्य। 5. सप्लाय एण्ड फिक्सिंग एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट बिथ 7.5 एम०टी०आर० राउण्ड डेकोरेट ब्लेक पोल मिथलेश बाथम के मकान से आगे मोड से प्रेमाश्रम स्कूल तक।	33.63 19.21 10.79 17.75 21.54		
		योग	102.92	100.00	50.00
3	नगर पंचायत गरौठा जनपद झाँसी	1. नगर पंचायत गरौठा में वार्ड सं०-01 गौधीनगर में श्री रामकिशुन मास्टर के मकान से दुर्जन यादव के मकान तक सी०सी० रोड नाली सहित निर्माण का कार्य। 2. नगर पंचायत गरौठा में वार्ड सं०-01 गौधीनगर में महीपत यादव के मकान से मजार की ओर सी०सी० रोड नाली सहित निर्माण का कार्य। 3. नगर पंचायत गरौठा में वार्ड सं०-02 अम्बेडकर नगर में श्री कासिम खां के मकान से गल्ला मण्डी की ओर सी०सी० रोड नाली सहित निर्माण का कार्य। 4. नगर पंचायत गरौठा में वार्ड सं०-04 सुभाष नगर में श्री हरपाल बुन्देला के मकान से श्री अशोक कुमार के मकान तक सी०सी० रोड नाली सहित निर्माण का कार्य। 5. नगर पंचायत गरौठा में विभिन्न स्थानों पर हाई मास्क लाईट की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	21.06 18.28 24.43 13.11 23.12		
		योग	100.00	100.00	50.00
4	नगर पंचायत गैसड़ी जनपद-बलरामपुर	1. रामनिवास मौर्या के खेत से फेजा मुल हक के खेत तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य। 2. लठावर वार्ड नं० 9 रामऔतार मौर्या के खेत से फेजामुल के खेत तक सी०सी० सड़क का निर्माण। 3. लठावर वार्ड नं० 9 पुलिया से राम सरोज मौर्या के बाग तक सी०सी० सड़क का निर्माण। 4. फजमुल खां के खेत से सुखना मौर्या के खेत तक सी०सी० सड़क का निर्माण। 5. फजमुल खां के खेत से निवास के खेत तक सी०सी० सड़क का निर्माण।	21.21 20.48 18.28 18.09 21.94		
		योग	100.00	100.00	50.00
5	नगर पंचायत अमीनगर सराय जनपद बागपत	1. वार्ड नं० 05 टंकी कालोनी में डाक्टर वी अहमद के हॉस्पिटल से बिनौली रोड तक सी०सी० सड़क/नाली निर्माण कार्य। 2. वार्ड नं० 01 हरिजन बस्ती में रोहित के मकान से सार्वजनिक शौचालय तक व प्रकाश फौजी से चुन्नी लाल के मकान तक सी०सी० सड़क/नाली निर्माण कार्य। 3. वार्ड नं० 05 डूडा कालोनी में सी०सी० सड़क/नाली निर्माण कार्य। 4. कस्बा अमीनगर सराय के वार्ड नं० 1 गोपी के प्लाट से तालाब तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य। 5. वार्ड नं० 2 मोहल्ला तेलीवाडा में प्रमोद वाल्मिकी के मकान से हिन्दुस्तान मेडिकल स्टोर वाले की दुकान तक व उसकी समस्त सहायक गलियों में सी०सी० सड़क/नाली निर्माण कार्य। 6. वार्ड नं० 02 मोहल्ला तेलीवाडा हरिजन चौपाल से जमील के मकान तक व उसकी सहायक गली में सी०सी० सड़क/नाली निर्माण कार्य।	8.70 9.74 10.18 4.60 39.93 10.33		


		7. कस्बा अमीनगर सराय में 90 वाट की 50 एल0ई0डी00 लाइट लगाने का कार्य।	10.44		
		8. कस्बा अमीनगर सराय के वार्ड न0 1 में अम्बेडकर मूर्ति का सौन्दर्यकरण का कार्य।	3.38		
		9. कस्बा अमीनगर सराय के वार्ड न0 1 में सामुदायिक भवन में माडर्न शौचालय का निर्माण कार्य।	13.48		
		योग	110.78	100.00	50.00
6	नगर पंचायत मुरसान जनपद हाथरस	1. मुरसान सादाबाद मार्ग किमी0 01 के बायीं तरफ रमेश ठेकेदार से मौनू की दुकान तक सी0सी0 मार्ग कार्य।	13.49		
		2. न0पं0 मुरसान में वार्ड नं0 6 में राम प्रकाश के मकान से शिव मन्दिर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	11.32		
		3. न0पं0 मुरसान में मथुरा रोड पर दक्षिणी साइड पटरी पर पथवारी माता मन्दिर से किले वाले मोड तक सी0सी0 मार्ग निर्माण का कार्य	12.09		
		4. न0पं0 मुरसान में इगलास रोड पर जय लक्ष्मी मैडीकल स्टोर से विष्णु के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	10.83		
		5. न0पं0 मुरसान में फुसकरा रोड पर जाहरवीर मन्दिर से कन्हैया दामोदर के मकान तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण का कार्य	12.12		
		6. न0पं0 मुरसान में सादाबाद रोड पर पश्चिमी साइड पटरी पर गिरीश के मकान तक सी0सी0 मार्ग निर्माण का कार्य	10.17		
		7. न0पं0 मुरसान में ताजपुर रोड से बिन्नू के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य	11.82		
		8. नगर पंचायत मुरसान की सीमान्तर्गत 16 मीटर हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन कार्य।	7.97		
		9. नगर पंचायत मुरसान की सीमान्तर्गत 16 मीटर हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन कार्य।	7.97		
		योग	97.78	97.78	48.89
7	नगर पंचायत मुरसान जनपद हाथरस	1. न0पं0 मुरसान में वार्ड न0 01 मंजू माहेश्वरी के गैराज से शरद कुशवाहा के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य।	9.33		
		2. न0पं0 मुरसान में वार्ड न0 06 में विजय शर्मा के मकान से हरेन्द्र शर्मा के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य।	10.08		
		3. न0पं0 मुरसान में फुसकरा रोड पर छज्जन के मकान से दम्बों ठाकुर के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य।	11.91		
		4. न0पं0 मुरसान में इगलास रोड पर जय पब्लिक स्कूल से विष्णु के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य।	10.63		
		5. न0पं0 मुरसान में मसानी माता मन्दिर की बाउण्ड्रीवॉल एवं सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	11.47		
		6. न0पं0 मुरसान में मथुरा रोड पर दक्षिणी साइड पटरी पर पीपल वाली माता से सरस्वती हॉस्पिटल तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	11.97		
		7. न0पं0 मुरसान में नवीन के मकान से गुलवीर के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.74		
		8. न0पं0 मुरसान में ब्लॉक रोड पर जी0एस0ए0एस0 स्कूल 2 स्कूल गेट न0.01 से खेल के मैदान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	9.31		
		9. नगर पंचायत मुरसान की सीमान्तर्गत 16 मीटर हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन प कार्य।	7.97		
		10. नगर पंचायत मुरसान की सीमान्तर्गत 16 मीटर हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन कार्य।	7.97		
		योग	102.38	100.00	50.00
		कुल योग (नगर पंचायत: अनुदान सं0-83)	664.25	647.78	323.89

नियम व शर्त/प्रतिबन्धों

- (1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से तीन वर्षों के पश्चात दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- (2) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्यो हेतु व्यय की जायेगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपोजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।

- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से संबंधित शासनादेशों/दिशा-निर्देशों एवं समय पर शासन द्वारा निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन/कार्य स्थल पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (6) अधिशासी अधिकारी का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व समस्त प्रकार की स्वीकृतियां/अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गयीं हों।
- (7) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्वन संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (9) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात् पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ यथा कार्ययोजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने, अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, आगणन, वार्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रमाण पत्र आदि पूर्ण कराने का दायित्व संबंधित निकाय का होगा। आगणन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित अधिशासी अधिकारी एवं संबंधित अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।
- (10) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- (11) विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/9-9-14-84 ज/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या-227/2015/1689/नौ-8-2015-96ज/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) प्रायोजना हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- (13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्वािरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (14) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- (15) स्वीकृत कार्यों में से जिन कार्यों का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

- (16) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
 - (17) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
 - (18) 'सेंटेज चार्ज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (19) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
 - (20) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31 दिसम्बर, 2025 तक सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायगी।
 - (21) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/संबंधित अभियंता उत्तरदायी होंगे।
 - (22) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।
 - (23) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के पश्चात, यदि धनराशि की बचत होती है तो उक्त धनराशि को निकाय द्वारा राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
 - (24) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
 - (25) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस०सी०एस०टी०/टी०एस०सी० हेतु निर्धारित मानक व दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाये।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 323.89 लाख (रुपये तीन करोड़ तेईस लाख नवासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 6215027890403 नगर पंचायतें मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-598-X-2024-25, दिनांक- 19 मार्च, 2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।


भवदीय,

19.3.25
(मो० वासिफ)
अनु सचिव।

संख्या- 92/2025/आर0एफ0-384(1)/नौ-9-2025/004-E-1905030, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
9. कोषाधिकारी, जनपद-गाजियाबाद, कन्नौज, झाँसी, बलरामपुर, बागपत एवं हाथरस।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
11. बेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
12. पी0एम0यू0 यूनिट, नगर विकास विभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मो0 वासिफ)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-19/03/2025

प्रेषण संख्या:- 92
आवंटन आदेश संख्या:- 001-92-2025-RF-384-9-9-2025-004-E-1905030
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)
(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
04 - पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना
03 - नगर पंचायतें

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	झॉंसी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
2	गाजियाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 2500000	2500000 2500000
3	हाथरस-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9889000 9889000	9889000 9889000
4	बलरामपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
5	बागपत-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
6	कन्नौज-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	32389000 32389000	32389000 32389000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ तेइस लाख नवासी हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ तेइस लाख नवासी हजार


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव